



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2013/फाल्गुन 30, 1934

No. 150]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2013/PHALGUNA 30, 1934

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2013

सा.का.नि. 185(अ).—केंद्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 752(अ), तारीख 5 अक्टूबर, 2012 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) अनुसूची में,—

(क) पैरा 1 को उप-पैरा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उप-पैरा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(2) नसलदार घोड़ों की दशा में, केवल प्रजनन, पोलो और खेल के प्रयोजन के लिए आयात की अनुमति दी जाएगी और दौड़ के प्रयोजन के लिए नहीं।”;

(ख) पैरा 2 के उप-पैरा (3) में, “सात दिन” के स्थान पर, सात दिन (अत्यावश्यक परिस्थिति में तीन दिन तक शिथिलनीय) शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) “प्ररूप” में,—

(क) पैरा 1 के उप-पैरा (1) के खंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(vi) पोट में लदान के दिन घोड़ा या अन्य अश्व ने संक्रमण या स्पर्शजन्य बीमारियों के कोई नैदानिक चिह्न या लक्षण उपदर्शित नहीं किए हैं।”;

(ख) सारणी के स्तंभ (1) में “वेस्ट नाइल विषाणु” से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर,—

(अ) स्तंभ (2) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, “रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन समूहकृत पीसीआर (आरटी-एनपीसीआर) या आईजीएम केप्चर एलिसा या विषाणु उदासीनीकरण/प्लाक अन्यूनता निष्प्रभावन परीक्षण (पीआरएनटी) या हेमाग्लूटीनेशन अवरोधन (एचआई)” प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(आ) स्तंभ (3) के अधीन प्रविष्टि, “सात दिन” शब्द के स्थान पर “सात से दिस दिन” प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

[फा. सं. 109-02/2009-ट्रेड]

राजबीर सिंह राणा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी.—मूल अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 752(अ), तारीख 5 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2013

G.S.R. 185(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries number G.S.R. 752(E), dated the 5th October, 2012, namely :—

In the said notification,—

(i) in the Schedule,—

(a) paragraph 1 shall be renumbered as sub-paragraph (1) thereof and after the sub-paragraph (1) as so renumbered, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

“(2) In the case of thoroughbred horses, import shall be allowed for the purpose of breeding, polo and sports only and not for purpose of racing”;

(b) in sub-paragraph (3) of paragraph 2, for the words “seven days”, the words and brackets “seven days (relaxable up to three days in pressing circumstances)” shall be substituted;

(ii) in the “FORM”,—

(a) in paragraph 1, after clause (v) of sub-paragraph (1), the following clause shall be inserted, namely:—

“(vi) the horse or other equidae shows no clinical signs or symptoms of infectious or contagious diseases on the day of shipments”;

(b) in the Table, against the entry relating to “West Nile Virus” in column (1),—

(A) for the entries under column (2), the entries “Reverse Transcription nested PCR (Rt-nPCR) or IgM Capture ELISA or Virus Neutralisation/Plaque Reduction Neutralisation Test (PRNT) or Haemagglutination Inhibition (HI)” shall be substituted;

(B) in the entries under column (3), for the word “seven days”, the words “seven to ten days” shall be substituted.

[F. No. 109-02/2009-Trade]

RAJBIR SINGHRANA, Jt. Secy.

Footnote.—The principal notification was published *vide* number G.S.R. 752(E), dated 5th October, 2012.